संख्या-1200 /1-10-2016-12(34)/03टी0सी0-1

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक : 07 नवम्बर, 2016

विषय: वर्ष 2016-17 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान-राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु कम्बल क्रय के लिये रू0 5,00,000/- (रूपये पॉच लाख मात्र) प्रति तहसील की दर से 342 तहसीलों हेतु रू0 17,10,00,000/- (रूपये सत्रह करोड़ दस लाख मात्र) एवं अलाव जलाने हेतु रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) प्रति तहसील के दर से 342 तहसीलों हेतु रू0 1,71,00,000/- (रूपये एक करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) कुल रू0 18,81,00,000/- (रूपये अट्ठारह करोड़ इक्यासी लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण/शर्तों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मण्डल का नाम	जनपद का नाम		तहसीलों की संख्या	कम्बल हेतु आवंटित धनराशि (रूपये में)	अलाव हेतु आवंटित धनराशि (रूपये में)	कुल धनराशि (रूपये में)
1–सहारनपुर	1	सहारनपुर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	2	मुजफ्फरनगर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	3	शामली	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
2–मेरठ	4	मेरठ	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	5	हापुड़	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	6	गाजियाबाद	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	7	बुलन्दशहर	7	35,00,000	3,50,000	38,50,000
	8	गौतमबुद्धनगर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	9	बागपत	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
3–आगरा	10	आगरा	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	11	मथुरा	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	12	फिरोजाबाद	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000

Scanned by CamScanner

	13	मैनपुरी	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
4–अलीगढ़	14	अलीगढ़	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	15	एटा	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	16	कासगंज	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	17	हाथरस	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
5–बरेली	18	बरेली	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	19	बदायूँ	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	20	शाहजहाँपुर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	21	पीलीभीत	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
6–मुरादाबाद	22	मुरादाबाद	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	23	रामपुर	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	24	बिजनौर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	25	अमरोहा	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	26	सम्भल	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
7–कानपुर	27	कानपुर नगर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	28	कानपुर देहात	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	29	इटावा	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	30	फर्रूखाबाद	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	31	कन्नौज	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	32	औरैया	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
8–इलाहाबाद	33	इलाहाबाद	8	40,00,000	4,00,000	44,00,000
	34	फतेहपुर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	35	प्रतापगढ़	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	36	कौशाम्बी	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
9–झांसी	37	झांसी	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	38	ललितपुर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	39	जालौन	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
10–चित्रकूटधाम	40	हमीरपुर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	41	महोबा	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	42	बांदा	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	43	चित्रकूट	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
11–वाराणसी	44	वाराणसी	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	45	जौनपुर	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	46	गाजीपुर	7	35,00,000	3,50,000	38,50,000
	47	चन्दौली	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
12–मिर्जापुर	48	मिर्जापुर	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	49	सोनभद्र	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	50	संत रविदास नगर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
13–आजमगढ़	51	आजमगढ़	8	40,00,000	4,00,000	44,00,000
	52	मऊ	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	53	बलिया	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
14–गोरखपुर	54	गोरखपुर	7	35,00,000	3,50,000	38,50,000
	55	महराजगंज	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	56	देवरिया	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	57	कुशीनगर	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
15–बस्ती	58	बस्ती	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000

Scanned by CamScanner

	59	सिद्धार्थनगर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	60	संत कबीरनगर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
16–लखनऊ	61	लखनऊ	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	62	उन्नाव	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	63	रायबरेली	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	64	सीतापुर	7	35,00,000	3,50,000	38,50,000
	65	हरदोई	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	66	खीरी	7	35,00,000	3,50,000	38,50,000
17–देवीपाटन	67	गोण्डा	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
	68	बहराइच	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	69	बलरामपुर	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
	70	श्रावस्ती	3	15,00,000	1,50,000	16,50,000
18–फैजाबाद	71	फैजाबाद	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	72	सुलतानपुर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	73	बाराबंकी	6	30,00,000	3,00,000	33,00,000
	74	अम्बेडकर नगर	5	25,00,000	2,50,000	27,50,000
	75	अमेठी	4	20,00,000	2,00,000	22,00,000
			342	**17,10,00,000**	**1,71,00,000**	**18,81,00,000**

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2016/548/18-2-2016-12(एस0पी0)/2010, दिनांक 12 अगस्त, 2016 जो कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वयतशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे क्रेता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के सम्बन्ध में है, में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) क्रय किये जाने वाले कम्बलो का दर पूर्व में निर्धारित दर रू0 500 से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चैड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलो में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नही होना चाहिए। क्रय किये जाने वाले कम्बलों की उपरोक्तानुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

(4) आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चैड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री के लिये नहीं है।

Scanned by CamScanner

(5) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदों के अनुसार किया जायेगा।

(6) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठंड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गंवाये जरूरतमन्द व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निःशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।

(7) निर्बल, निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाय। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े मजरो में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध व बीमार पुरूष/महिला को प्राथमिकता दी जाय। उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 तक चिन्हित कर लिया जाय तथा दिनांक 10 दिसम्बर, 2016 तक क्रय किये गए कम्बलों आदि को कैम्प लगाकर वितरित करा दिया जाय।

(8) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव में न हो।

(9) निःशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा उसे राहत की वेबसाइट पर भी अवश्य फीड कराया जायेगा।

(10) क्रय किये गये कम्बलो तथा अलाव जलाने पर व्यय हुई धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

(11) कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाये जाने की अद्यावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के कन्टोल रूम के फैक्स संख्या-0522-2238084 अथवा 2236305 पर प्रेषित किए जाने के साथ ही राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर प्रत्येक दिन शाम 04.00 बजे तक अवश्य अपलोड किया जाय।

2- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि के व्यय का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत

Scanned by CamScanner

धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

3- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

4- कम्बलों के क्रय तथा उसकी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-2, 3 एवं 4 में निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगें।

5- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 1200 (1)/1-10-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(मदन मोहन)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner